न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 291 / 2013

उनवान

1. गोपाल सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी बडेसरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 76 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.9.2013

अभिभाषक : 1. श्री सबदर अली, , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 30.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडेसरा पटवार हल्का रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा में वादी के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 6 मीन पुराने एवं खसरा संख्या 58 व 59 नये क्षेत्रफल 1.25 हेक्टर स्थित है। जो उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा मिसल नम्बर 1366 / 89 के वादी को भूमिहीन काश्तकार होने से दिनांक 22.6.1989 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व केम्प दौलतपुरा में आवंटन कमेटी ने आवंटन की तथा कब्जा वादी को दिया तभी से वादी ने उक्त भूमि को काफी लागत खर्च कर उपजाऊ बनाया व निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है वादग्रस्त भूमि के आवंटन के बाद नियमानुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.6.90 के आधार पर खसरा नम्बर 666/6 रकबा 5 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम खोला गया । वादी के नाम खोले गये उक्त नामान्तरकरण संख्या 612 है। सेटलमेण्ट से पूर्व वादी का आराजी नम्बर 6 मीन में 5 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त था । शाहपुरा तहसील में भू बन्दोबस्त होने से भू बन्दोबस्त के दौरान वादग्रस्त भूमि के नम्बर व नाप बदले गये। बिलानाम कृषि भूमि 6 मीन रकबा कुल साढे अठारह बीघा के नये नम्बर 55 लगायत 60 बनाये गये। जिसे वादी के कब्जेकाश्त की 5 बीघा भूमि के नये नम्बर 58 लगायत 60 बने। आराजी नम्बर 58 में 0.71 हेक्टर एवं 59 में 0.54 हेक्टैयर कुल 1.25 हेक्टैयर भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है। सेटलमेण्ट के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारियों ने वादी का कब्जाकाश्त होते हुए भी राजस्व रेकार्ड से वादी का नाम हटा दिया व आराजी नम्बर 58 रकबा 0.71 हेक्टैयर व आराजी नम्बर 59 रकबा 0.54 हेक्टेयर को बिलानाम घोषित कर दिया जिसका भू प्रबन्ध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये जाने पर हुई। । वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त योग्य भूमि नहीं है। अतः भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में किये गये परिवर्तन को जरिये इन्द्राज दुरूस्ती सही किया जाकर वादी को आराजी नम्बर 58 रकबा 0.71 हेक्टैयर आराजी नम्बर 59 रकबा 0.54 हेक्टेयर कुल रकबा 1.25 हेक्टैयर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को राजस्व केम्प दौलतपुरा में आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम बडेसरा पटवार हका रघुराजपुरा को कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 मीन साबिक एवं खसरा संख्या 58 व 59 कुल रकबा 1.25 हेक्टर मिसल नम्बर 1366/89 द्वारा भूमिहीन काश्तकार होने से दिनांक 22.6.89 को आवंटित की गई। जिस पर अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के अपीलार्थी ने काफी लागत व मेहनत लगाई है। अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त होने से दिनांक 27.6.90 को पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 666/6 रकबा 5 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 612 अपीलार्थी के नाम पर खोला गया । शाहपुरा तहसील में भू बन्दोबस्त होने से भूमि के नम्बर व नाप बदले गये। कृषि भूमि 6 मीन कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर 55 लगायत 60 कायम किये गये। अपीलार्थी को आवंटित आराजी के नये नम्बर 58 व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

59 कायम किये गये जिस पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है। जिसका रकबा क्रमशः 0.71 हेक्टेयर व 0.54 हेक्टेयर कुल रकबा 1.25 हेक्टेयर है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया तथा आराजी नम्बर 58 व 59 को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दिया । जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राजात को पुनः रिपिट करना था। परन्तु अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया इसलिए अपीलार्थी ने आवंटित आराजी नम्बर 666/6 जिसके नये नम्बर 58 व 59 जिसका कुल रकबा 1.25 हेक्टेयर बने है जिसको अपीलार्थी अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 4.1.11 से भी अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त होना प्रमाणित होता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होना मानते हुए वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने जो कथन वाद पत्र में किये थे उसका किसी प्रकार से खण्डन प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में तनकियात पर निर्णय पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व की जमाबंदी पेश नहीं की गई साथ ही खसरा नम्बर 666/6 के नये खसरा नम्बर कौन–कौनसे बने है नहीं बताया है, वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया है। जबकि अपीलार्थी/वादी का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। पटवारी हल्का ने भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने का कथन अंकित किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज कर दिया जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से कब्जाकाश्त होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । भू प्रबन्ध के वक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि को बिलानाम दर्ज किया है जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी को राजस्व केम्प दौलतपुरा में आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम बडेसरा पटवार हका रघुराजपुरा को कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 मीन रकबा 5 बीघा भूमि का मिसल नम्बर 1366/89 द्वारा भूमिहीन काश्तकार होने से दिनांक 22.6.89 को आवंटित की गई। जिसका राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से अंकन किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है । अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात भूमि को काबिलकाश्त बनाने में काफी लागत व मेहनत लगाई है। इस सबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.1.11 का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन किया गया । जिसमे पटवारी हल्का ने अंकित किया है '' ग्राम बडैसरा पटवार हल्का फूलिया खुर्द के आराजी नम्बर आराजी नम्बर 58 रकबा 0.71 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 59 रकबा 1.29 हेक्टेयर पर पहूँचा उक्त दोनों आराजियता मौके पर खाली पडे हुए हैं व मौतबिरान देह ने बताया कि उक्त दोनों आराजियात आराजी नम्बर 58 रकबा 0.71 हेक्टेयर पर पुरे पर व आराजी नम्बर 59 रकबा 1.29 हेक्टेयर में से 0.54 हेक्टेयर पर गोपाल सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी बडेसरा का कब्जा है व वर्षो से गोपाल सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी बडैसरा ही इस पर काश्त करता आ रहा है। '' इसके आधार पर अपीलार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा साबित होता है। परन्तु अपीलार्थी ने साबिक खसरा नम्बर 6 मीन जिसका कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा थे उसके अन्दर उसे कौनसे हिस्से का पर कब्जा सुपुर्द किया गया । इस सबंध में कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि उसे हाल आराजी नम्बर 58 व 59 का कब्जा सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी यह भी राजस्व रेकार्ड से साबित करने में असफल रहा है कि जिस भूमि पर अपीलार्थी अपना कब्जा होने का कथन करता है वह भूमि ही उस आवंटित की गई थी। जहॉ तक पटवारी हल्का की रिपोर्ट का प्रश्न है। पटवारी हल्का ने मौतबिरान देह के कहने के आधार पर अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी नम्बर 58 रकबा 0.71 हे0 एवं आराजी नम्बर 59 रकबा 0.54 हेक्टेयर पर कब्जा होने का तथ्य अंकित किया है परन्तु यदि अपीलार्थी द्वारा काश्त की जाती तो भू प्रबन्ध के समय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज नहीं किया जाता एवं उसके पश्चात बिलानाम सरकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज होने पर भी अपीलार्थी का कब्जाकाश्त होने की स्थिति में उसे प्रत्येक वर्ष अतिक्रमण के फलस्वरूप नोटिस जारी किये जाते एवं बेदखली की कार्यवाही की जाती। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. अपीलार्थी का कथन है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु इस बाबत उसके द्वारा कोई जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। अपीलार्थी द्वारा मात्र एक नोटिस जो कि उसके द्वारा हाल आराजी नम्बर 58 पर कब्जा किया है उसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। जबकि भू प्रबन्ध के पश्चात भी यदि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त होता तो प्रत्येक वर्ष उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाति एवं उसे नोटिस जारी किये जाते। चूंकि भू प्रबन्ध के वक्त वादग्रस्त आराजी पर न तो अपीलार्थी का कब्जाकाश्त था एवं न ही साबिक नम्बर 6 मीन में अपीलार्थी को आवंटित आराजी जिस हिस्से पर कब्जा सुपुर्द किया गया उसका नक्शे में इन्द्राज ही किया गया था ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिनालाम काबिल काश्त दर्ज किया गया था। अपीलार्थी/वादी न तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं न ही न्यायालय हाजा में ही वाद पत्र में अंकित कथनों को एवं अपील मेमो में अंकित कथनों को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं करा पाया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 24.9.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

30/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 291 / 2013

उनवान

1. गोपाल सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी बडेसरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 76 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.9.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 291 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 30.11.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री सबदर अली वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 30.11.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.9.2013 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

30/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस